

भाग III
संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

1	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें		जी नहीं।
2	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।		सहमत है।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।		सहायक अभियंता निर्माण पूर्व मध्य रेलवे सिंगरौली द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 (2) के अंतर्गत रेलवे लाईन के दोहरीकरण का प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि वन परिक्षेत्र गोरबी के कक्ष क्रमांक पी.एफ 189, रकबा 20.82 हे० एवं परिक्षेत्र बैडन के कक्ष क्रमांक पी.एफ 256 रकबा 0.584 हे० वन भूमि में कुल रकबा 21.404 हे० है। वनमण्डलाधिकारी सिंगरौली आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित आवेदित क्षेत्र 21.404 हे. वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तावित प्रयोजन के उपयोगार्थ वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (2) के प्रावधानों के तहत अनुशंसित किया गया है। रेलवे लाईन के दोहरीकरण कार्य हेतु वनमंडलाधिकारी सिंगरौली द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी अनुशंसित है।

तिथि : 22.12.2018
स्थान: सीवा

मुख्य वन संरक्षक
रेलवे वन संरक्षण म.प्र.

Recommendation of CCF

सिंगरौली जिले के वनमण्डल सिंगरौली के वन परिक्षेत्र गोरबी के कक्ष क्रमांक पी.एफ 189, रकबा 20.82 हे० एवं परिक्षेत्र बैढन के कक्ष क्रमांक पी.एफ 256 रकबा 0.584 हे० वन भूमि में कुल रकबा 21.404 हे० वन भूमि में करैला से सिंगरौली रेलवे लाईन के दोहरीकरण का कार्य किया जाना है। रेलवे लाईन के दोहरीकरण में प्रभावित वनभूमि कक्ष क्रमांक पी.एफ. 189, 256 वन भूमि में कुल रकबा 21.404 हे० व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु वनमंडलाधिकारी सिंगरौली द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी अनुशंसित है।

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)